

प्रेस नोट

26.12.2020

80 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ तीन गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.12.2020 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान विरैचा के पास से डेविड मिंज पुत्र पेवेसयूश मिंज निवासी पेटोशासन टोली थाना घाघरा जनपद गुमला झारखण्ड तथा जयराम उरांव पुत्र बिरी उरांव निवासी खुखराडी थाना घाघरा जनपद गुमला झारखण्ड दोनों के कब्जे से तीन प्लास्टिक के जरिकेन में 60 लीटर देशी कच्ची शराब तथा थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा बेलौली से देवनारायण साहनी पुत्र जगरनाथ साहनी निवासी बेलौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालन न्यायालय किया गया।

गोवध निवारण के क्रम में एक पिकप वाहन में कूरतापूर्वक लदे 02 राशि बैल बरामद—

आज दिनांक 26.12.2020 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान तिलई खुर्द के पास से एक पिकप वाहन (यूपी 54 टी 9523) में कूरतापूर्वक लाद कर वध के लिए जा रहे 02 राशि बैल बरामद किया गया। जबकि वाहन चालक व अन्य व्यक्ति भाग गये। इस सम्बन्ध में उक्त अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0300सं0 1020/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11च पशुकूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा मो० शाकिब, अब्दुल मन्नान निवासीगण औसतपुर थाना चिरैयाकोट, थाना घोसी पुलिस द्वारा निहाल, राजन निवासीगण जामडीह, अनिल निवासी अवरना थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा पंकज बरनवाल, अतुल कुमार राय निवासीगण भदसामानोपुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा बेचन हरिजन निवासी बन्धनपुर थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा शेषनाथ निवासी पलिया, कैलाश, राजू, महेन्द्र, जिउत निवासीगण दौलसेपुर, गौरव, सतीष निवासीगण समसाबाद थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा श्रीनाथ पाण्डेय निवासी पिपरीडीह, आशिष, सुभाष निवासीगण पिजड़ा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

दिनांक 25.12.2020 को समय लगभग 04:00 बजे साम पीआरवी 3940 को रुट चार्ट भ्रमण के दौरान मझवारा मोड पुलिस बुथ के पास एक अज्ञात बैग था जिसके पास भीड़ एकत्र थी जिसे देखकर मय पीआरवी कर्मी बैग के पास जाकर लोगों को दुर करके बैग खोलकर देखा तो बैग में एक ट्रेन टिकट, कुछ कपड़े और 50 हजार रुपये से अधिक के जेवरात दिखाई दिया जिससे पिआरवी कर्मियों द्वारा ट्रेन टिकट पर व्यक्ति का नाम संतोष गुप्ता निवासी मधुबन देखकर उक्त व्यक्ति को जरिये मोबाइल वार्ता कर घोसी पुलिस बुथ पर बुलकार उनको ससम्मान वापस किया गया जिसे पाकर उक्त दम्पत्ति काफी खुश हुए और

यूपी-112 की काफी सराहना किये। पीआरपी कर्मी— कमाण्डर का० प्रदीप कुमार मौर्या व चालक हो०गा० अरुण कुमार पाण्डेय

प्रत्येक माह के दुसरे व चौथे शनिवार को थानों पर जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 26.12.2020 को जनपद के समस्त थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जन शिकायतों को सुना गया तथा त्वरित निस्तारण हेतु सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोपागंज व घोसी पर जाकर जनसुनवाई की गयी। इस क्रम में महोदयगण द्वारा थाना कोपागंज पर बने हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

समस्त थानों पर पड़े कुल प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत है—

थाना चिरैयाकोट में 02 प्रा०पत्र पड़े व निस्तारण 01, थाना दक्षिणटोला में 06 प्रा०पत्र व निस्तारण 04, थाना दोहरीघाट में 06 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 02, थाना घोसी में 30 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 06, थाना हलधरपुर में 19 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 04, थाना कोपागंज में 10 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 02, थाना कोतवाली में 02 प्रा०पत्र, निस्तारण 01, थाना मधुबन में 08 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 05, थाना मुहम्मदाबाद में 19 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 06, थाना रानीपुर में 12 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 03, थाना सरायलखंसी में 06 प्रा०पत्र पड़े, निस्तारण 00, शेष प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हेतु टीमें रवाना हैं।